

महाराष्ट्र सहायक कलेक्टर/ उप जिलाधिकारी मोहन लाल शर्मा लखनऊ

संख्या - 97/ 2007-08  
63

धारा- 143 जेड0 ए0 एल0 आर0 एक्ट

मीजा- गौरा

परगना- तहसील व जिला - मोहनलाल शर्मा लखनऊ



महाराणा प्रताप स्मृतिशान्ति सेन्टर द्वारा सचिव श्रीलेन्द्र भदौरिया पुत्र श्री राम सिंह भदौरिया निवासी 117/क्यू/66 शारदा नगर कानपुर ।

बनाम

उ0 प्र0 सरकार

निष्पत्ति  
=====

महाराणा प्रताप स्मृतिशान्ति सेन्टर द्वारा सचिव श्रीलेन्द्र भदौरिया पुत्र श्री राम सिंह भदौरिया निवासी 117/क्यू/66 शारदा नगर कानपुर ने उ0 प्र0 सरकार को पक्षकार बनाते हुए एक प्राप्तिना पत्र अर्न्तगत धारा 143 जेड0 ए0 एल0 आर0 एक्ट में इस आशय से प्रस्तुत किया है कि निम्नलिखित आराजियात स्थित ग्राम गौरा के छाता संख्या 97 व आराजी संख्या 2390/0. 303 हे0, छाता सं0 938 की आराजी सं0 2393/1. 399 हे0 व छाता संख्या 939 की आराजी सं0 2386/1. 242 हे0 व आराजी संख्या 2387/1. 581 हे0 के कुल कित्ता रकवा 4. 525 (11.18 acre) हे0 पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा भूमि के चारों ओर बाउण्ड्री वाल बनी है। तथा निर्माण कार्य चल रहा है अतः उक्त भूमि का आकृषिक भूमि घोषित किए जाने योग्य है ।

आदेश  
=====

उक्त विवेचना के आलोक में ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलाल शर्मा जिला लखनऊ स्थित छाता संख्या 97 की आराजी संख्या 2390/0. 303 हे0 छाता सं0 938 की आराजी संख्या 2393/1. 399 हे0 व छाता संख्या 939 की आराजी संख्या 2386/1. 242 हे0 व 2387/1. 581 हे0 का कुल रकवा 4. 525 हे0 जो कि अकृषिक भूमि घोषित किए जाने योग्य है तथा शिक्षण कार्य के लिये उपयुक्त घोषित की जाती है। उक्त आदेश की एक-एक प्रति उपनिबन्धक मोहनलाल शर्मा व तहसीलदार की सूचनाओं भेजी जाये वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में अभिलेखित हो। उक्त आदेश तिथि तहस्ताधरित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक :- 14/11/07



शुभा शर्मा  
उप जिलाधिकारी  
मोहन लाल शर्मा, लखनऊ ।